न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर (राज0)

अपील संख्या-86/2017

1- रामनिवास
2- किशनाराम
पुत्र जेठाराम जाति जाट निवासी खींवताना तहसील डेगाना जिला नागौर ।

---अपीलान्टस्---

---बनाम---

1- भागीदेवी के कायम मुकामान-
1/1- सुभाषचन्द्र पुत्र कानाराम
2- कानाराम पुत्र शिवकरण
जाति जाट निवासी खींवताना तहसील डेगाना जिला नागौर ।
3- लालसिंह पुत्र हरिसिंह के कायम मुकामान-
3/1- भवंरसिंह पुत्र लालसिंह
3/2- आसुसिंह पुत्र लालसिंह
3/3- खींवसिंह पुत्र लालसिंह
3/4- किशोरसिंह पुत्र लालसिंह
3/5- रामप्यारी पत्नी लालसिंह
3/6- मुन्नी पुत्री लालसिंह
3/7- चांद पुत्री लालसिंह
3/8- सुरज पुत्री लालसिंह
3/9- गीता पुत्री लालसिंह
4- रेवतसिंह पुत्र हरिसिंह के कायम मुकामान-
4/1-लेला पत्नी रेवंन्तसिंह
4/2-ओमसिंह पुत्र रेवन्तसिंह
4/3-मुन्नासिंह पुत्र रेवन्तसिंह
4/4-कमलादेवी पुत्री रेवन्तसिंह
जाति दरोगा निवासीगण खींवताना तहसील डेगाना जिला नागौर ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

5- प्रहलादसिंह पुत्र हरिसिंह
6- गणपतसिंह पुत्र हरिसिंह
7- केसरसिंह पुत्र हरिसिंह
} जाति दरोगा निवासीगण खींवताना तहसील डेगाना जिला नागौर ।

8- हीराराम
9- पुरखाराम
} पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी खींवताना तहसील डेगाना जिला नागौर ।

10- तहसीलदार डेगाना ।

11- बाजु पुत्री शिवकरणाराम पत्नी लोडाराम जाति जाट निवासी जायल तहसील जिला नागौर ।

12- धापू पुत्री शिवकरणाराम पत्नी चूनाराम जाति जाट निवासी मातासुख तहसील जायल जिला नागौर ।

13- गंगा पुत्री शिवकरणाराम पत्नी दीनाराम जाति जाट निवासी सांजू तहसील डेगाना जिला नागौर ।

14- चौथी पुत्री शिवकरणाराम पत्नी भूराराम जाति जाट निवासी खींवताना तहसील डेगाना जिला नागौर

15- कानी उर्फ बाऊ पुत्री शिवकरणाराम पत्नी हीराराम जाति जाट निवासी गाजू तहसील व जिला नागौर ।

16- कमला पुत्री शिवकरणाराम पत्नी नाथूराम जाति जाट निवासी सांजू तहसील डेगाना जिला नागौर ।

---रेस्पोडेन्टस्---

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री
दिनांक 26-10-2016 द्वारा उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर डेगाना ।

---0---

उपस्थिति-

1- श्री मुकन्दसिंह एडवोकेट- अपीलान्ट
2- श्री सोहनलाल एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक- 25.4.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीया/रेस्पोडेन्ट संख्या-1 ने अदालत मातहत में दावा बाबत घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा एवं बंटवारा का पेश कर निवेदन किया कि वादीनी स्वर्गीय शिवकरण की बेवा है तथा प्रतिवादी सं0-1 से 3 उसके पुत्र स्वर्गीय जेठाराम के वारिसान है तथा प्रतिवादी सं0-4 वादीनी का दूसरा पुत्र है। वादीनी के पति शिवकरण का सम्वत 2033 में फौत हो गया तथा उसका पुत्र जेठाराम सम्वत 2048-49 में फौत हुआ । इस प्रकार विवादित आराजी में 1/3 हिस्सा वादीनी, 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं0-1 से 3 व 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं0-4 का उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार हुआ । वाके ग्राम खिंवताणा में खेत खसरा नं0-197 रकबा 104 बीघा 15 बिस्वा में वादीनी के स्व0 पति स्व0 शिवकरण ठेठ आधूणा की हिस्सा रकबा 38 बीघा 5 बिस्वा पर काबिज थे । आधूणी हिस्से में दक्षिणी हिस्सा रकबा 16 बीघा 10 बिस्वा प्रतिवादी सं0-10 व 11 तथा उत्तरी हिस्सा हिस्सा रकबा 50 बीघा पर प्रतिवादी सं0-5 से 9 काबिज चले आ रहे हैं। इसी प्रकार ख0नं0 32 रकबा 63 बीघा 4 बिस्वा पर स्व0 शिवकरण अकेले काबिज रहे थे । शिवकरण के फौतहोने पर खसरा जेर दावा की खातेदारी वादीनी के होते हुऐ राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलती से उनके पुत्र स्व0 जेठाराम व प्रतिवादी सं0-4 के नाम ही फौती नामान्तरकरण जरिये राजस्व अभिलेख में अंकित किऐ । वादीनी अनपढ औरत जात होने से इसकी जानकारी नहीं हो सकी। जबकि वादीनी स्व0 शिवकरण की खातेदारी की जमीन में 1/3 हिस्से की उत्तराधिकारणी है ।

स्व0 शिवकरण ने अपने जीवनकाल में ही यानी सम्वत 2025 में ही जब उनका बडा लडका जेठाराम उनसे अलग होने की इच्छा जाहिर की तो उन्होने आपसी समझाईश से उक्त आराजी का बंटवारा कर दिया । जिसमें ख0नं0 197 स्व0 शिवकरण व उनकी पत्नी वादीनी के बट में रखा गया तथा खसरा नं0-32 में उतराधा आधा हिस्सा स्व0 जेठाराम के बँट में व दिखणादा आधा हिस्सा प्रतिवा-

तक चला आ रहा है । वादीनी अब बीमार हो गई जिससे उसने अपने हिस्से की भूमि की काश्त प्रतिवादी सं0-4 से करवाती है। तथा वादीनी वृद्ध एवं बीमार रहने लग गई जिसकी सेवा प्रतिवादी सं0-4 ही करता है । प्रतिवादी सं0-1 से 3 इस बात से नाराज हो गये तथा वादीनी को धमकी दी की यह आराजी हमारे नाम उसका इस आराजी से कोई लेना देना नहीं तब गलत राजस्व रेकार्ड की नकल निकलवाने पर गलत राजस्व रेकार्ड की जानकारी हुई तथा वादीनी का राजस्व रेकार्ड में नाम नहीं होने से प्रतिवादी संख्या-1 से 3 के मन में बेईमानी आ गई तथा वे वादीनी के हिस्से पर काबिज होने पर आमादा हो गये तथा वादीनी को बेदखल करने की ऐलानिया धमकी देने पर यह दावा किया जिस पर सुनवाई करते हुये अदालत मातहत ने वादीनी का दावा स्वीकार कर लिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । अदालत मातहत ने पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड साक्ष्य व तथ्यों के विपरित होने के अतिरिक्त प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित आदेश पारित किया है जिसे खारिज किया जावे । खसरा नं0-197 रकबा 104.13 बीघा मौजा खींवताना स्व0 शिवकरणराम के खातेदारी का खेत था यानि उक्त खेत पुश्तेनी है। ऐसी स्थिति में स्व0 शिवकरणराम के खातेदारी के खेत जो पुश्तेनी खेत है, पुश्तैनी खेत का वादी स्व0 भागीदेवी को घोषित करने का कोई अधिकार नहीं था । दिनांक 26-10-96 को स्व0 भागीदेवी जो पूर्व में इस दावे में वादीनी थी उसने रेस्पोडेन्ट संख्या-1 सुभाषचन्द के पक्ष में जो वसीयत निष्पादीत करवाई वो शुरू से ही शून्य थी, उस वसीयत के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या-1 को किसी भी तरह का हक अधिकार हासिल नहीं हो सकते । क्योंकि उक्त वसीयत शुरू से ही शुन्य है । वादीनी भागीदेवी को वसीयत करने का अधिकार नही था । वसीयत के समय वो खातेदार नहीं थी और न ही उसका इस आराजी पर कब्जा था और न ही वसीयत रजिस्टर्ड है तथा ना ही वसीयत को प्रोबेट करवाई गई है। इस प्रकार ऐसी वसीयत से रेस्पो0 सं0-1 को कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं ।किन्तु अदालत मातहत ने इस तथ्य

को नजर अन्दाज कर अपना निर्णय पारित किया है ।वादीनी ने अपने बयानों में यह स्वीकार किया कि वाद प्रस्तुत करने के दो तीन वर्ष पूर्व उसकी हिम्मत काश्त करने की नहीं होने से प्रतिवादी यानि अपीलान्ट संख्या-। व 2 ने जबरन काश्त कर लिया जो इस बात का परिचायक है कि वाद प्रस्तुत करने के दिन वादीनी का उक्त आराजी पर कब्जा नहीं था और वाद प्रस्तुत करने से पूर्व वादीनी का कब्जा नहीं था तो उसे स्थायी निषेधाज्ञा का दावा लाने का कोई अधिकार नहीं था और न ही स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त कर सकती है। अदालत मातहत ने इन तथ्यों पर भी कोई गोर न कर अपना निर्णय पारित किया है जो कानून के विपरित है । अपीलान्ट के दा ाव भागी देवी के पति शिवकरणराम का देहान्त लगभग सम्वत 2033 में हो गया । शिवकरणराम के दो पुत्र जेठाराम व किशनाराम व पत्नी भागीदेवी और पुत्रिया बाजू, धापू, गंगा, चौथी, कानी और कमला थी । इस प्रकार शिवनारायणजी के कुल 9 उत्तराधिकारी हुए जिसमें वादीनी के 1/9 हिस्सा हुआ वादीनी ने उक्त आराजी में अपना 1/3 हिस्सा बताकर रेस्पोडेन्ट संख्या-। के पक्ष में जो वसीयत की है वो शुरू से ही शुन्य है ।हिस्से से अधिक आराजी की वसीयत की है जो शून्य है ।इस तथ्य को भी अदालत मातहत ने नजर अन्दाज किया है । खसरा नं0-197 रकबा 104.13 बीघा के आधे हिस्से पर आज भी अपीलान्ट का कब्जा काश्त है जो सम्वत 2025 से लगातार चला आ रहा है ।सम्वत 2025 में अपीलान्ट के पिता जेठाराम अलग हुऐ थे तब जेठाराम का तथा बाद में इस आराजी पर अपीलांट का कब्जा काश्त रहा है । इस आराजी पर रेस्पोडेन्ट संख्या-। का कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है ।और ना ही यह आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या-। के बंट में रही है ।वादीनी एवं उनके गवाहों ने यह साबित नहीं कर पाये कि वादग्रस्त खेत ख0नं0 197 रकबा 104.13 बीघा भूमि में से 38 बीघा भूमि पर उसका कब्जा काश्त व उसके बंट की हो ।वादीनी ने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम से अपना हक होना जताया है तो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार स्व0 शिवकरणराम की पत्नी, पुत्र व पुत्रियों सभी उसके उत्तराधिकारी है और प्रत्येक का बराबर बराबर हिस्सा है तो प्रत्येक का 1/9, 1/9 हिस्सा है। भागीदेवी ने 1/3 हिस्से की वसीयत

अदालत मातहत ने अपने निर्णय में शिवकरणराम की आराजी में उसके दो पुत्र व पत्नी का हक हिस्सा मानकर आदेश पारित किया जबकि शिवकरणराम के 6 पुत्रियां भी थी फिर वादीनी का ही उस आराजी पर शिवकरण के फौत होने पर कब्जा काश्त कैसे रहा । अदालत मातहत ने इस तथ्य पर भी कोई गौर न कर अपना निर्णय पारित किया है । वादीनी ने जिस दिन दावा पेश किया वादीनी का कब्जा नहीं था । तथा वादीनी ने शिवकरणराम की 6 पुत्रियों को पक्षकार नहीं बनाया इस कारण उक्त दोनों ही कारणों से वादी का वाद चलने योग्य नहीं होते हुये भी दावा स्वीकार करने में कानूनी भूल की है ।अदालत मातहत में प्रतिवादी सं0-3 आसीदेवी, प्रतिवादी सं0-5 लालसिंह, प्रतिवादी सं0-6 रेवन्तसिंह का दौराने दावा देहान्त हो गया जिसके कायम मुकामान को रेकार्ड पर लिये बिना मृत व्यक्तियों के खिलाफ आदेश पारित किया है जो विधि के विपरित एवं शून्य है ।अतः अपीलां-ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री निरस्त किया जावे

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट एवं विद्वान वकील रेस्पोडेन्टस् की बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । नकल जमाबन्दी सम्वत 2049 से 2052 में ख0नं0 197 रकबा 104 बीघा 15 बिस्वा की खातेदारी लालसिंह रेवतसिंह,प्रहलादसिंह,गणपतसिंह केसारसिंह पि0 हरिसिंह, जेठाराम,कानाराम पि0 शिवकरण, आशाराम राधाकिशन पि0 जीवनराम के नाम दर्ज है । ख0नं0 32 रकबा 63 बीघा 4 बिस्वा की खातेदारी जेठाराम कानाराम पि0 शिवकरण के नाम दर्ज है जिस पर नामा0सं0 455 से जेठाराम के वारिसान का नाम दर्ज किया है । प्रदर्श-ए-1 में शिवकरण के बेटा/पोता का बंट हिसाब किया गया जिसमें चल व अचल सम्पत्ति का बंटवारा किया है जिसमें जेठाराम व कानाराम के हस्ताक्षर है । जिसमें विवादित आराजी का बंटवारा किया गया है । प्रदर्श-ए 2 वसीयतनामा जो भागीदेवी ने लिखा जो सुभाषचन्द्र पुत्र कानाराम के नाम लिखी जिसमें ख0नं0 197 की पश्चिमी तरफ की 39 बीघा 5 बिस्वा

का प्लाट की 1/3 हिस्सा की भूमि की वसीयत की है । बयान पीडब्लू-1 भागीदेवी पत्नी शिवकरण ने बताया कि विवादित आराजी का बंटवारा मेरे पति शिवकरण ने अपने जीवनकाल में ही कर दिया था जिसकी लिखा पढी है। उक्त विवादित भूमियों में लडकियों को कोई हिस्सा नहीं दिया । बयान में यह भी कहा कि जो मेरी सेवा करेगा उसे मेरे हिस्से की जमीन दूंगी। उसका पुत्र कानाराम उसकी सेवा करता है। रामनिवास मेरी सेवा नहीं करता है ।पी0डब्लू-2 लच्छाराम ने बयानों दर्ज किया कि जेठाराम जब अलग हुआ तब शिवकरण ने मेरे से बंटवारे की लिखावट लिखवाई बंटवारा शिवकरण ने अपने जीवनकाल में ही कर दिया था । कानाराम व भागीदेवी मां बेटे हैं। पी0डब्लू0-3 भंवराराम पुत्र मोतीराम ने बयानों में कहा कि कानाराम की बंट की आराजी को मैने काश्त की है । नाडी वाला खेत शिवकरणजी ने अपने बंट में रखा था । पी0डब्लू0-4 ने बयानों में कहा की मैं इनके परिवार का सदस्य हूँ। मेरा ससूराल इनके परिवार में है । भागीदेवी का जंवाई, जेठाराम व कानाराम का बहनोई लगता हूँ ।बंटवारा किया उस समय मैं मौजूद था बंटवारे पर मेरे हस्ताक्षर है। नाडीवाला खेत 38 बीघा है जो वादीनी व शिवकरण ने अपने पास रखा था । अन्य बयानों का भी अवलोकन किया । वसीयतनामा दिनांक 26-10-1996 को भागीदेवी ने रेस्पोडेन्ट संख्या-1 सुभाषचन्द के नाम किया है ।

अदालत मातहत में दावे में निम्न तनकीयात कायम की गई:-

1- आया खेत खसरा नं0- 197 व 32 वाके ग्राम खींवताना स्व0 शिवकरणराम की खातेदारी का होने से वादीनी का 1/3 हिस्से की खातेदारी है-- वादीनी---

2- आया वादीनी माफिक वाद पत्र के पैरा सं0-3 में वर्णित अनुसार बाई मीटस् एण्ड बाउण्डस् भूमि का बंटवारा करवाने की अधिकारणी है--- वादीनी---

3- आया वादीनी भागीदेवी अपने वाद पत्र में एवं न्यायालय में दिये गये बयानों में अंकित करवाया है कि उसके बंट की भूमि पर प्रतिवादी सं0-1 से 3 द्वारा जबरन कब्जा करने व उसके काश्त व कब्जे को लेकर ऐलानिया धमकियां दी जा रहीं है जिससे काश्त करना मुश्किल हो गया है। प्रतिवादी सं0-1 से 3 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पाने की हकदार-- वादीनी--

4- आया बजु, धापू, गंगा, चौथी, कानी, कमला पि0 शिवकरण इस वाद में आवश्यक

पक्षकार है जिन्हे पक्षकार बनाये बिना दावा काबिल चलने के योग्य नहीं है-
--प्रतिवादी--

5-आया ख0नं0 197 में प्रतिवादीगण को प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये । --प्रतिवादी---

6-आया कब्जा का दावा किये बिना दावा हाजा चलने योग्य नहीं है--प्रतिवादी--

7-दादरसी-

यह स्वीकृत तथ्य है कि जेठाराम व कानाराम भागीदेवी व शिवकरण के पुत्र है साथ ही यह तथ्य भी स्वीकृत है कि विवादित आराजी शिवकरण की खातेदारी की रही है । जिसको अपने जीवनकाल में ही शिवकरण ने अपने पुत्र जेठाराम के अलग होने पर किया है । जिसका बयानों में स्पष्ट रूप से विवरण है। बंटवारा की लिखावट लिखने वाले पी0डब्लू-2 ने लिखावट लिखा जाना स्वीकार किया है । इसी आराजी के बाबत सहायक कलेक्टर डेगाना द्वारा दिनांक 5-2-99 को किये गये निर्णय के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के समक्ष अपील पेश करने पर अपील में वसीयत को फर्जी बताने के बिन्दू पर तथा शिवकरण की पुत्रियो को पक्षकार बनाकर इन्हे सुनवाई का अवसर दिया जाकर निर्णय करने हेतु प्रकरण दिनांक 29-7-2004 को रिमाण्ड किया। जिसके विरूद्ध अपीलान्ट ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील पेश की जिसको दिनांक 22-3-2013 को खारिज कर राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर का निर्णय दिनांक 29-7-2004 को यथावत रखा । जिस पर अदालत मातहत में प्रकरण में दिनांक 14-11-2014 को अपील पुनः दर्ज कर सुनवाई करते हुये वादीनी का दावा स्वीकार कर डिक्री किया गया ।

तनकी संख्या-1 के बाबत यह स्वीकृत तथ्य है कि जेठाराम, कानाराम भागीदेवी व शिवकरण के पुत्र है । यह तथ्य भी स्वीकृत है कि शिवकरण उक्त आराजी का रेकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिससे आराजी पैतृक है । शिवकरण ने जब जेठाराम अलग हुआ तब शिवकरण ने विवादित आराजी का आपसी सहमति से पारिवारिक बंटवारा किया जिसकी लिखापढ पी0डब्लू0-2 द्वारा लिखा जाना स्वीकार किया है । जेठाराम व कानाराम शिवकरण व भागीदेवी के पुत्र होने से शिवकरण के हिस्से में आई आराजी पर शिवकरण के देहान्त के बाद जेठाराम

व कानाराम के नाम के साथ साथ भागीदेवी का नाम भी दर्ज किया जाना चाहिये था किन्तु वादीनी का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं किया गया । जबकि यह स्वीकृत तथ्य है कि वादीनी भागीदेवी शिवकरण की पत्नी है जो शिवकरण के देहान्त के बाद उसके पुत्रों के साथ उक्त आराजी में सहखातेदार है जिसका नाम भी राजस्व रेकार्ड में पुत्रों के साथ दर्ज किया जाना चाहिये था ।वादीनी ने अपने हिस्से की वसीयत रेस्पोडेन्ट संख्या-। संभाषचन्द्र पुत्र कानाराम के नाम तस्दीक किया है जिसको बयानों में स्वीकार किया है।इस तनकी में शिवकरण की आराजी में भागी देवी शिवकरण की बेवा होने से उसके पुत्रों के साथ साथ 1/3 हिस्से की खातेदारी घोषित कराने की हकदार है । अदालत मातहत ने इस तनकी को वादीनी के पक्ष में साबित किया है जो सही है तथा वादीनी के फौत होने पर उसके स्थान पर रेस्पो0 सं0"-। को खातेदारी घोषित करवाने का अधिकारी माना है जो सही है । इस तनकी का निर्णय उचित एवं सही है ।

2- आया कि वादीनी माफिक वाद पत्र के पैरा संख्या-3 में वर्णित शजरा अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस भूमि का बंटवारा करवाने की अधिकारिणी है । इस तनकी को साबित करने का भार भी वादीनी पर ही था । विवादित आराजी का शिवकरण ने अपने जीवनकाल में ही विवादित आराजी का बंटवारा अपने दोनो पुत्रों जेठाराम व कानाराम के साथ किया जिसमें अपी0डब्लू-2 ने बंटवारा की लिखावट लिखा जाना स्वीकार किया है बंटवारानामा पर दोनों पत्रों के साथ मौजीज व्यक्तियो के हस्ताक्षर है ।इस बंटवारा बाबत अपीलान्ट भी इन्कार नहीं कर सकते क्योंकि इनके पिता जेठाराम के हस्ताक्षर है ।शिवकरण व भागीदेवी के बंट में आई आराजी पर काश्त शिवकरण व भागीदेवी की रही तथा शिवकरण के फौत होने पर उसके बंट में आई आराजी पर भागीदेवी का कब्जा गवाहों ने स्वीकार किया है ।तथा भागी देवी शिवकरण की बेवा होने से शिवकरण की आराजी में उसका उसके दोनो पुत्रों के साथ 1/3, 1/3 हिस्सा तीनों का ही होता है जो तनकी संख्या-। में विस्तृत रूप से वर्णित किया जा चुका है । भागीदेवी ने अपने जीवनकाल में ही वसीयतनामा रेस्पो0 संख्या-। के नाम किया है ।ख0नं0 197 में से रकबा 38.05 बीघा भूमि पश्चिम दिशा

की तरफ रेस्पोंडेन्ट संख्या-1 सुभाषचन्द के तथा ख0नं0 32 रकबा 64.03 बीघा में से 1/2 हिस्सा उत्तरी दिशा का अपीलांट संख्या-1व 2 के तथा शेष 1/2 दक्षिण दिशा का रेस्पोंडेन्ट संख्या-2 के हिस्से में आया हुआ है । जिसका पारि--वारीक बंटवारा किया जा चुका है । इसी अनुसार बंटवारा कराने की वादीनी हकदार है। अदालत मातहत ने इस तनकी का निर्णय भी उचित एवं विधिक रूप से वादीनी/रेस्पोंडेन्ट संख्या-1 के पक्ष में किया है जो उचित एवं विधिक है ।जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने की कोई आवश्यकता नही है । तनकी संख्या-1 व 2 वादीनी के पक्ष में निर्णीत होने पर प्रतिवादीगण को पाबन्द ~~करान~~ कराने के लिये वादीनी हकदार है । उक्त दोनो तनकीयों का निर्णय वादीनी के पक्ष मे किये जाने पर इस तनकी का निर्णय भी वादीनी के पक्ष में ही जाता है । जिसको अदालत मातहत ने वादीनी के पक्ष में निर्णित किया है जिसमें भी हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं मानते हैं ।इस तनकी का निर्णय यथावत रखा जाना उचित मानते हैं ।

4- आया बजु, धापु, गंगा, चौथी, कानी व कमला पि0 शिवकरण इस वाद में आवश्यक पक्षकार है जिन्हे पक्षकार बनाये बिना दावा चलने योग्य नहीं है । इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी सं0- 1 से 3 पर था । दावे में उक्त शिवकरण की कुल छः पुत्रिया है जिनको दावे में प्रतिवादी संख्या-13 से 18 पर पक्षकार बनाया गया है । पक्षकार बनाये जाने के बाद उन्हे नियमानुसार नोटिस जारी किये गये जो दिनांक 29-12-14 का दिनांक 24-2-2015 की पेशी के लिये जारी किये गये है जो पत्रावली में पेज संख्या-डी-3/23 से 28 पर दर्ज है । इस कारण यह नहीं कहा जा सकता की शिवकरण की पुत्रियों को दावे में पक्षकार नही बनाया और न ही उन्हे सुनवाई का कोई अवसर दिया हो ।दावे पुत्रियों को पक्षकार बनाया है। इस कारण इस तनकी का निर्णय प्रतिवादी सं0-1 से 3 के विरूद्ध तथा वादी के पक्ष में निर्णीत की है ।जिसमें हक कोई हस्तक्षेप उचित नहीं मानते हैं । तनकी संख्या- 5 व 6 के सम्बन्ध में तनकी संख्या-1 व 2 में योगय अदालत मातहत ने अपना निर्णय विस्तृत निर्णय दिया है । इस कारण उक्त तनकी संख्या 5 व 6 के निर्णय भी यथावत रखा जाता है ।

अदालत मातहत के निर्णय एवं पत्रावली का अवलोकन करने यह यह स्पष्ट है कि शिवकरण के जेठाराम व कानाराम दो पुत्र हुये जिनके मध्य स्वर्गीय शिवकरण ने अपने जीवनकाल में ही विवादित आराजी का बंटवारा कर कब्जा अलग अलग समझलाया गया है । तथा मुताबिक बंटवारा के शिवकरण एवं भागीदेवी के बंट में ख0नं0 197 रकबा 104.15 बीघा में से 38.05 बीघा भूमि स्व0शिव करण व भागीदेवी के पास रही तथा शिवकरण के देहान्त के बाद यह आराजी भागीदेवी के हिस्से में रही जिसकी वसीयत भागीदेवी ने अपने जीवनकाल में ही रेस्पोडेन्ट संख्या-1 के पक्ष में की गई है । विवाद तब पैदा हुआ जब शिवकरण के फौती इन्तकाल में जेठाराम व कानाराम का ही नाम आ गया भागीदेवी शिवकरण की बेवा थी जिसका नाम नहीं आया तथा भागीदेवी अनपढ औरत जात थी जिसने यह दावा किया जिसे अदालत मातहत ने तनकीवाईज निर्णय करते हुये निर्णित किया है जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक भूल नहीं है ।

अतः अपील अपीलान्ट साबित नहीं होने से अपील खारिज की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी डेगाना(नागौर) का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26-10-2016 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 25.4.2018 को सुनाया गया ।

25/4/18

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर

डिक्री वर्सिंग अपील
(आर्डर 41 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत - भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर।

इजलास - श्री संवरलाल मेहड़ा RAS

1- रामनिवास पुत्र जेठाराम जाति जाट निवासी खींवताना तहसील डेगाना जिला नागौर । आदि

--अपीलान्टस्--

---बनाम---

1- भागीदेवी पत्नी शिवकरण के कायम मुकाम्मान आदि --रेस्पोडेन्टस्--

नोट- उनवान सलग्न है ।

अपील नम्बर 86 सन् 2017 बनाराजगी डिक्री अदालत उप खण्ड अधिकारी डेगाना, नागौर,

मुकाम दिनांक 26 माह 10 सन् 2016

-दावा बाबत -

यह अपील व तारीख ...25-4-2018..... हब्स हमारे व हाजिर श्री .मुकन्दसिंह..... ..... मिनजानिब अपीलान्टस् व हाजिर श्री .मोहनलाल..... मिनजानिब रेस्पोडेन्टस् समाहत के लिये हुक्म हुआ कि .अपील अपीलान्ट साबित नहीं होने से अपील खारिज की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी डेगाना, नागौर, का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26-10-2016 यथावत रखा जाता है । ....

खर्चा फरीकैन हस्व तकसीत वादाबी युबलिग .....xxx..... रुपये अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का .....xxx..... रुपया अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारिख ....25-4-2018..... को जारी की गई।

दस्तखत - भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

ओहदा -

अपीलार्थीगण	रुपये पैसे	गैर अपीलार्थीगण	रुपये पैसे
1- स्टाम्प अपील		1- स्टाम्प वकालतनामा	
2- स्टाम्प वकालतनामा		2- स्टाम्प अर्जी	
3- इजराय हुक्मनामा		3- इजराय हुक्मनामा	
4- तलबाना मुतफुरकात		4- मुतफुरकात	
5- मिजान		5- मिजान	